भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 2398

(सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

कंपनियों द्वारा अप्रयुक्त अव्यय सामाजिक दायित्व निधि

2398. श्री रिचर्ड वनलालहमंगाहाः

श्री कुलदीप इंदौराः

श्री तापिर गावः

क्या **कारपोरेट मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अब तक देश में कुल कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय कितना है और अव्यय सीएसआर निधि का प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार ने 500 से अधिक ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है जो विगत तीन वर्षों में अनिवार्य सीएसआर निधि को खर्च करने में बार-बार विफल रही है और यदि हां, तो कितनी कंपनियों पर जुर्माना लगाया गया है तथा कुल कितनी राशि वसूल की गई है;

(ग) सीएसआर के दुरुपयोग या अनियमितताओं की शिकायतों की जांच के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय सीएसआर लेखापरीक्षा और निगरानी प्राधिकरण या एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या संसद सदस्यों को संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के समान सीधे सीएसआर निधि आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो कंपनी अधिनियम, 2013 के धारा-8 के अंतर्गत कंपनियों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के सीएसआर अंशदान के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित परियोजनाओं को प्राथमिकता सुनिश्चित करने के लिए जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): सीएसआर व्यय से संबंधित प्रकटन की सूचना सीएसआर वार्षिक रिपोर्ट में दी गई है जिसे उनकी वार्षिक विवरणी फ़ाइल करने के साथ फ़ाइल किया जाना है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने दिनांक 17.10.2025 के सामान्य परिपत्र संख्या 06/2025 के माध्यम से सभी कंपनियों को वित्त वर्ष 2024-25 से संबंधित अपनी वार्षिक फाइलिंग 31 दिसंबर, 2025 तक पूरी करने की अनुमति दी है। इसलिए, कंपनियों के पास वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित अपने सीएसआर व्यय से संबंधित विवरण 31 दिसंबर, 2025 तक फ़ाइल करने का समय है।

(ख): जब कभी सीएसआर प्रावधानों के उल्लंघन की सूचना मिलती है, तो ऐसी अनुपालन न करने वाली कंपनियों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार रिकार्डों की विधिवत जांच करने के बाद और कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई शुरू की जाती है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वि.व.) अर्थात् 2022-23, 2023-24 और 2024-25 में, जिन कंपनियों को दंडित किया गया है और उन पर शास्ति लगायी गयी है, उनके विवरण अनुलग्नक में हैं।

जारी....2/-

(ग): ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के बोर्ड को कंपनी द्वारा कार्यान्वित सीएसआर नीति को अपनी बोर्ड रिपोर्ट में प्रकट करना होता है और कंपनी के बोर्ड को स्वयं को संतुष्ट करना होता है कि इस प्रकार संवितरित निधियों का उपयोग प्रयोजनों के लिए और उसके द्वारा अनुमोदित तरीके से किया गया है, और मुख्य वित्तीय अधिकारी या वित्तीय प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति इस प्रभाव को प्रमाणित करेगा। इसके अतिरिक्त, जिन कंपनियों की अपनी वेबसाइट है, उन्हें अपनी वेबसाइट पर सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं जैसे प्रकटीकरण करने की आवश्यकता होती है। सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर कार्यकलापों पर व्यय की कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा ऑडिट किया जाना अपेक्षित है। मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021-22 से लागू कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("सीएआरओ, 2020") को अधिसूचित किया है, जिसके लिए लेखा परीक्षकों को किसी भी अव्ययित सीएसआर राशि का विवरण देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, मौजूदा ढांचा अनुपालन निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त तंत्र प्रदान करता है।

(घ) और (ङ): जी, नहीं। अधिनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर समिति की सिफारिशों के आधार पर सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने का अधिकार है। सरकार किसी विशेष क्षेत्र या कार्यकलाप में व्यय करने के लिए कारपोरेटस् को कोई निदेश जारी नहीं करती है।

*****

अनुलग्नक

दिनांक 15.12.2025 के लिए लोकसभा आतारांकित प्रश्न संख्या 2398 के पैरा (ख) से संदर्भित अनुलग्नक

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	दंडित कम्पनियों की संख्या	अधिरोपित दंड (करोड़ रू. में)
1.	2022-23	06	2.97
2.	2023-24	11	3.32
3.	2024-25	13	13.65
कुल योग		30	19.94